Recognized by UGC under section 2F& 12 B

Accredited with "B" Grade by NAAC

सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चकिया, चन्दौली (उत्तर प्रदेश)

(महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से सम्बद्ध)

विवरणिका

प्रवेश आवेदन पत्र सहित

मूल्य 100/-

कुलगीत

परम सुहावन वनस्थली में, महान विद्याभवन हमारा।
जहाँ सुशोभित उपत्यका में, सुरम्य सरिता का शुचि किनारा।।
लगी जहाँ है सघन वाटिका, सुघर सलोनी सागौन वाली।
परिवृत्ता जो सुंदर शिखर से तथा मुकुल्या मनोरमाली।।
है पुण्य काशी की नवछटा मय, जहाँ विमल ज्ञान की ज्योतिधारा।
परम सुहावन वनस्थली में, महान विद्याभवन हमारा।।1।।

है जिसके पश्चिम नगर सुहावन, घिरा नहर की नवल छटा से।
लहक रही सस्यश्यामला है, उत्तर दिशा में घिरी लता से।
है जिसके पूरब में कर्मनाशा, का शुभ्र फैला दुकुल प्यारा।
परम सुहावन वनस्थली में, महान विद्याभवन हमारा।।2।।

महान विन्ध्याटवी सुशोभित, दक्षिण दिशा में शिखर उठाए।
है झील-झरने जहाँ मनोरम, प्रकृति जहाँ पल-पल मुस्कुराए।
जुड़ी जहाँ राजपथ के द्वारा, पुनीत गंगा की श्वेत धारा।
परम सुहावन वनस्थली में, महान विद्या भवन हमारा।।3।।

सुरम्य चकिया के इस नगर में, जहाँ बहे पावन ज्ञान धारा।
जहाँ से विद्यार्थी हैं पाते, परास्नातक का ज्ञान सारा।।
सभी सुमन महमहे बनें बस, यही लक्ष्य है अनुदित हमारा।
परम सुहावन वनस्थली में, महान विद्या भवन हमारा।।4।।

VISION, MISSION AND OBJECTIVE

SAVITRI BAI FULE GOVT. P.G. COLLEGE, CHAKIA, CHANDAULI

(Accredited with 'B' Grade by NAAC)

VISION :

Savitri Bai Fule Government Postgraduate College, aspires to have transformational impact on students through comprehensive education by inculcating qualities of competence, confidence and excellence. The college is established by U. P. Government with the vision of 'Vasudhaiva Kutumbakam' means 'The whole Earth is a Family' owning this view college tries to inculcate a value system among students, cares for their personal as well as their family problems.

MISSION :

- Providing infra structural facilities to meet the contemporary needs.
- Inculcating the spirit of inquiry.
- Adopting learner centered approach.
- Improving the quality of teaching, learning and evaluation through ICT for effectiveness.
- Contribution to National Development.
- Fostering Global competencies among students.
- Enhancing growth opportunities for employability.
- Nurturing research culture.
- Sustaining transparency in institutional governance.
- Fostering value practices and social responsibility.
- Focusing on continuous improvement through comprehensive feedback.

OBJECTIVES :

The main objective of the institution is to transform the students into well meaning citizens through the committed pattern of instructions based on carefully prepared and well designed curricular aspect. The changing needs of the time are the basis while building a rich corpus of talent. In a country like India, with cultural pluralities and diversities, it is essential that students imbibe the appropriate values commensurate with social, cultural, economic and environmental realities, at the local, national and universal levels. Truth and righteousness apart from other values are on the most priority. The seed of values sown in early stages of education aimed at cooperation and mutual understanding.

सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चकिया, चन्दौली (उत्तर प्रदेश)

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

इस विवरणिका को प्रकाशित कराने का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चकिया, चन्दौली के परिचय, शिक्षण, शिक्षणेत्तर क्रिया-कलापों, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के नियमों, प्रवेश प्रक्रिया, अनुशासन, परीक्षा-प्रणाली, विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधाओं, महाविद्यालय विकास के साथ ही साथ गुरु-शिष्य की पावन-परम्परा से परिचित कराना है। अतः छात्र-छात्राओं को ध्यानपूर्वक इन नियमों, परम्पराओं, नवोन्मेषों के प्रति प्रतिबद्ध होना है, जिससे अपने भावी जीवन में वे समाज एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होकर सुयोग्य नागरिक बनें।

मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अपनी ज्ञान-पिपासा में निरन्तर वृद्धि का प्रयास करता है। वतमान समय में शिक्षा, जीवन की महती आवश्यकता तथा मानव विकास का प्रथम सोपान है। इसी को केन्द्र बिन्दु मानकर प्राकृतिक दृष्टि से रमणीय एवं उच्च शिक्षा की दृष्टि से अविकसित इस क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकताओं एवं जन-आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय महाविद्यालय चकिया की स्थापना 31 मार्च, 1978 ई. को किया। सर्वप्रथम इस महाविद्यालय का शुभारम्भ नगर स्थित श्री आदित्य नारायण पुस्तकालय भवन में हुआ। 29 फरवरी 1996 को नवनिर्मित भवन का अधिग्रहण हुआ। 2001-02ई0 में स्नातकोत्तर की कक्षाएं आरम्भ हुईं। सम्प्रति चकिया-इलिया मुख्य मार्ग पर तहसील मुख्यालय से पूरब दो किलोमीटर पर अपने भव्य भवन में संचालित है।

चन्दौली जनपद के दक्षिण में स्थित चकिया तहसील अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण उत्तर-प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है। यह महाविद्यालय तहसील मुख्यालय में अवस्थित पूरब में सागौन की वनस्थली एवं कर्मनाशा के कछारों, दक्षिण में विन्ध्याटवी की पहाड़ियों, पश्चिम में मीरजापुर की सीमान्त धाराओं चन्द्रप्रभा व भागीरथी की छटाओं तथा उत्तर में राजपथ के तन्तुओं से जुड़ा यह क्षेत्र अत्यन्त मनोरम है। समीपवर्ती 'सनखल' जैविक अवशेषों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जीवाश्मों का म्युजियम है। दूर-सुदूर के पर्यटक यहाँ राजदरी तथा देवदरी प्रपात, कर्मनाशा-लतीफशाह बाँध तथा चन्द्रप्रभा बाँध के अवलोकनार्थ पिकनिक मनाने आते हैं। बाबा योगेश्वर नाथ की प्राचीनतम अविरल मीठे जल की धारा आज भी आश्चर्यचकित करती है।

वर्तमान में चकिया नगर पंचायत का केन्द्र है। उत्तर में निकटतम रेलवे स्टेशन मुगलसराय जंक्शन एवं बस-स्टेशन से 31 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) से 27 किलोमीटर, दक्षिण में नौगढ़ से 38 किलोमीटर, पूरब में सैदपुर 06 किलोमीटर, इलिया 15 किलोमीटर तथा पश्चिम में अहरौरा 24 किलोमीटर, अदलहाट 30 किलोमीटर पर स्थित है।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास हेतु अनेक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनमें राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक परिषद्, विभिन्न विषयों के विभागीय परिषदें विषय के सम्बन्ध में शास्त्रों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं। वार्षिक पत्रिका **'विन्ध्य-प्रभा'** का प्रकाशन महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की लेखन अभिरुचि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। **उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का दूरस्थ अध्ययन केन्द्र** (S-539) भी है जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किये गये हैं। वर्तमान सत्र से **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)** के पाठ्रूक्रमों को भी संचालित किए जाने का प्रयास चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण महाविद्यालय में केन्द्र समन्वयक से प्राप्त किया जा सकता है।

पाठ्य-विषय

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं नियमों के अधीन महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है—

कला संकाय

(1) हिन्दी साहित्य, (2) अंग्रेजी साहित्य (3) संस्कृत साहित्य, (4) राजनीतिविज्ञान, (5) समाजशास्त्र, (6) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, (7) अर्थशास्त्र (8) शारीरिक शिक्षा।

अनिवार्य विषय–स्नातक प्रथम वर्ष में 'राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिन्तन' (Rashtra Gaurav Evam Bhartiya Chintan) एवं स्नातक द्वितीय वर्ष में 'पर्यावरण अध्ययन' (Environmental Studies)।

नोट - उक्त विषय संयोजन में से प्रवेशार्थी तीन विषय संयोजन का चयन वरीयता के आधार पर सोच-विचार कर करें।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न विषय संयोजन उपलब्ध है-

क्र.सं.	विषय-1	विषय-2	विषय 3
1.	हिन्दी	संस्कृत	समाजशास्त्र
2.	हिन्दी	संस्कृत	राजनीतिशास्त्र
3.	हिन्दी	संस्कृत	अर्थशास्त्र
4.	हिन्दी	संस्कृत	मध्य इतिहास
5.	हिन्दी	संस्कृत	अंग्रेजी
6.	हिन्दी	संस्कृत	शारीरिक शिक्षा
7.	राजनीतिशास्त्र	अर्थशास्त्र	समाजशास्त्र
8.	राजनीतिशास्त्र	अर्थशास्त्र	मध्य इतिहास
9.	राजनीतिशास्त्र	अर्थशास्त्र	हिन्दी
10.	राजनीतिशास्त्र	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी
11.	राजनीतिशास्त्र	अर्थशास्त्र	शारीरिक शिक्षा
12.	राजनीतिशास्त्र	मध्य इतिहास	समाजशास्त्र
13.	राजनीतिशास्त्र	मध्य इतिहास	हिन्दी
14.	राजनीतिशास्त्र	मध्य इतिहास	अंग्रेजी
15.	राजनीतिशास्त्र	मध्य इतिहास	शारीरिक शिक्षा
16.	अर्थशास्त्र	मध्य इतिहास	समाजशास्त्र
17.	अर्थशास्त्र	मध्य इतिहास	हिन्दी
18.	अर्थशास्त्र	मध्य इतिहास	अंग्रेजी
19.	अर्थशास्त्र	मध्य इतिहास	शारीरिक शिक्षा
20.	हिन्दी	अंग्रेजी	समाजशास्त्र
21.	समाजशास्त्र	शारीरिक शिक्षा	हिन्दी

(1) प्रवेशोपरान्त विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) एक साथ दो साहित्यिक विषय ही लिये जा सकते हैं।

(3) स्नातक प्रथम वर्ष में चयनित तीन विषयों का स्नातक द्वितीय वर्ष में भी अध्ययन करना होगा। स्नातक तृतीय वर्ष में द्वितीय वर्ष के मात्र दो विषयों का ही चयन करना होगा।

(4) स्नातक प्रथम वर्ष में 'राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिन्तन' तथा स्नातक द्वितीय वर्ष में 'पर्यावरण अध्ययन' में न्यूनतम 33% अंक अनिवार्य है। इनमें उत्तीर्ण न होने पर परीक्षाफल अपूर्ण रहता है। विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त नहीं होती है।

स्नातकोत्तर स्तर पर विषय - (1) हिन्दी साहित्य, (2) राजनीति विज्ञान, (3) समाजशास्त्र, (4) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, (5) अर्थशास्त्र।

नोट : (1) स्नातक तृतीय वर्ष के विषयों में से ही कोई एक विषय चयनित करना चाहिए।

(2) प्रत्येक विषय में 60 सीट निर्धारित है।

(3) शासन, निदेशालय, विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ही निर्धारित प्रवेश लिया जायेगा। निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। जिन विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती हैं, पी.एच.डी. शोध की व्यवस्था है। शोध के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्देश प्रभावी माने जायेंगे।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य कार्यवाही

1- महाविद्यालय कार्यालय से प्रवेश आवेदन-पत्र विवरणिका सहित (निर्धारित शुल्क जमाकर) प्राप्त कर सभी वांछित सूचनाओं को सही स्पष्ट भरकर आवश्यक संलग्नकों के साथ निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करके प्रवेश आवेदन प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए।

2- प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि को सायं चार बजे के बाद किसी भी दशा में आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

3- अधूरे या अपूर्ण तथा बिना संलग्नकों के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- नये प्रवेशार्थियों के लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नकों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक होगा।

(1) उत्तीर्ण परीक्षाओं (हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं) की अंक-तालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(2) स्नातकोत्तर स्तर पर स्नातक के तीनों वर्षों की अंक-तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की छाया प्रति फार्म में संलग्न करें। प्रवेश साक्षात्कार के समय मूल जमा करना अनिवार्य है।

(4) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति फार्म में संलग्न करें। प्रवेश साक्षात्कार के समय मूल प्रति जमा करने पर ही प्रवेश मान्य होगा और शुल्क जमा किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(5) व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति। मूल प्रति प्रवेश/साक्षात्कार के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

(6) खेलकूद सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की छाया प्रति/मूल प्रति प्रवेश साक्षात्कार के समय।

(7) एन.सी.सी. का 'बी', 'सी' प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

(8) एन. एस. एस. प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

(9) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/नाती/पोता हों तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(10) राजकीय महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0/क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत किसी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/बहन/भाई हों तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। 15% अधिभार प्रदान किया जायेगा।

(11) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा सामान्य में गणना होगी।

(12) विकलांगता का प्रमाण-पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा) यदि अभ्यर्थी विकलांग है।

5- प्रवेश साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी को प्रवेश-समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समस्त संलग्नकों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6- प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जायेगा। 80% सीट पर महाविद्यालय से उत्तीर्ण तथा 20% पर बाह्य प्रवेशार्थी का प्रवेश होगा।

7- प्रवेश में शासन के आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।

8- स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में एक विषय से दूसरे विषय में हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

9- स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिए गैप ईयर (व्यवधान वर्ष) अनुमन्य नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा से एक वर्ष के अन्तराल पर विचार किया जा सकता है। अन्तराल का नोटरी शपथ-पत्र लगाना होगा ।

10- ऐसे अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता, अनुचित साधन प्रयोग के लिए दण्डित हो गया हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11- जिस अभ्यर्थी को भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड प्राप्त किया हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

12- बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

13- स्नातक में 40% से कम पाने वाले अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा किन्तु क्रमांक 12 व 13 के प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पर लागू नहीं होगा।

14- किसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा छोड़ देने, अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को पुनः उसी कक्षा में विषय बदलकर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

15- अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

16- प्राचार्य को किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

17- प्रवेशार्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। प्रवेश निरस्त होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रवेशार्थी का होगा और वरीयता क्रम में अंकित अगले प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वीकृत कर दिया जायेगा। परन्तु शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

18- प्रवेश के समय विद्यार्थी की शुल्क रसीद/पर्ची में उसके चुने गये विषयों का उल्लेख होगा, जिसे वह अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा विषय प्राध्यापक को दिखाकर वे अपना नाम उस विषय के (उपस्थिति-पंजिका) रजिस्टर में अंकित करायेंगे। सम्बन्धित विषय प्राध्यापक के उपस्थिति पंजिका में नाम लिखाने का दायित्व विद्यार्थी का होगा।

19- प्रवेशार्थियों से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ सूचना पट्ट पर लगा दी जायेंगी। अतः यह विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा कि वे नियमित रूप से सूचना-पट्ट पर लगी सूचना को पढ़े और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

20- विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक कक्षा में 360 सीट निर्धारित है। शारीरिक शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों में 120 सीट उपलब्ध है। पहले प्रवेश पाने वाले प्रवेशार्थियों द्वारा विषय लिये जाने के बाद शेष बचे हुए विषयों में जिनमें सीट उपलब्ध होगी, उसी में प्रवेश देना सम्भव होगा।

21- शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि ली जायेगी।

22- रैगिंग में सम्मिलित न होने के लिए एक शपथ-पत्र भरना अनिवार्य है, जिस पर अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावक का हस्ताक्षर आवश्यक है। परिसर में रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है।

प्रवेश चयन समिति

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा चयन समिति गठित की जायेंगी जो प्रवेशार्थियों को प्रवेश हेतु साक्षात्कार करेंगी एवं मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करेंगी। साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी को मूल चरित्र-प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के अभाव में प्रवेश संस्तुत नहीं होगा एवं समस्त संलग्नकों के मूल प्रमाण-पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय शुल्क जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और अगले वरीयता क्रम के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा। प्रवेश देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। वे बिना कारण बताये प्रवेश अस्वीकृत कर सकते हैं।

नोट : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में निर्धारित नियम लागू होंगे।

(अ) स्नातक प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणिका (इण्डेक्स)
इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक + अधिभार

(ब) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणिका (इण्डेक्स)
स्नातक प्राप्तांक + अधिभार
या X+2Y (प्राप्त आवेदन-पत्रों के अनुसार)

X= स्नातक प्राप्तांक महायोग

Y= स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में उक्त विषय की लिखित प्राप्तांक, जिस विषय में प्रवेश लेना है।

नोट : अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिखित विषयगत पूर्णांक में असमानता दृष्टिगत होती है। अतः उस विषमता को दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यलय की परीक्षाओं के पूर्णांक को समान करते हुए योग्यता अनुक्रमणिका तैयार करते समय तीनों विषयों की प्राप्तांकों में वृद्धि/कमी की जायेगी जिससे सभी प्रवेशार्थियों की योग्यता इण्डेक्स में समानता रहे।

प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रमाण-धारकों को निर्दिष्ट अधिभार देय होगा–

(अ) रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण-पत्र धारक

1-बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट/प्रवीण प्रमाण-पत्र	05 अंक
2-विश्वविद्यालय समागम सहभागिता/निपुण प्रमाण-पत्र	10 अंक
3-प्रदेश समागम/राष्ट्रपति पुरस्कार	15 अंक

(ब) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

1-'बी' प्रमाण-पत्र	10अंक
2-'सी' प्रमाण पत्र	15 अंक
3- आर. डी. परेड	20 अंक

(स) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

1-दो वर्ष की सदस्यता एक विशेष दस दिवसीय शिविर	05 अंक
2-दो वर्ष की सदस्यता दो विशेष दस दिवसीय शिविर	10 अंक

(द) अन्तर्विद्यालयीय/मण्डलीय खेलकूद	05 अंक
(य) अन्तर्विश्वविद्यालयीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी	10 अंक

(र) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के अविवाहित सन्तानों को सम्पूर्ण इण्डेक्स का 2% अधिभार उसी वर्ग में (जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर)।

(ल) विकलांगों को सम्पूर्ण इण्डेक्स का 2% अधिभार उसी वर्ग (मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर)।

(व) सशस्त्र सेना में कार्यरत अथवा शहीद के पुत्र/पुत्री को वांछित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

विशेष : अधिभार की अधिकतम सीमा 25 अंक होगी।

विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र

(1) **परीक्षा आवेदन-पत्र (Examination Form) :** महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् बी.ए. प्रथम, बी.ए. द्वितीय एवं बी.ए. तृतीय तथा एम. ए. के सभी छात्र-छात्राएँ अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट समय के अन्दर आनलाइन (Online) परीक्षा आवेदन पत्र अवश्य भर दें और इसकी सूचना महाविद्यालय के कार्यालय में दे दें। आनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय यह भी देख लें कि फार्म सर्वथा त्रुटि रहित है।

(2) विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र भरें जायेंगे।

(3) स्नातक प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उत्तीर्ण परीक्षार्थी अगली कक्षाओं में व्यक्तिगत ही परीक्षा फार्म भरेंगे। संस्थागत के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(4) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की भी सीट विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

(5) अन्य विश्वविद्यालय से आये आवेदकों को परीक्षाफार्म भरते समय प्रव्रजन प्रमाण (Migration Certificate) की मूल प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ लगाना आवश्यक है।

प्रवेश के समय देय शुल्क (शासन के निर्देशानुसार)

	बी.ए. प्रथम वर्ष	बी.ए द्वितीय वर्ष	बी.ए. तृतीय वर्ष	एम.ए. प्रथम सेमे.	एम.ए. द्वितीय सेमे.	एम.ए. तृतीय सेमे.	एम.ए. चतुर्थ सेमे.
कोषागार शुल्क	241.00	236.00	236.00	301.00	--	296.00	--
बैंक शुल्क							
	2375.00	2255.00	2255.00	2359.00	1100.00	2596.00	1100.00

नोट : 1. नामांकन शुल्क नये प्रवेशार्थियों एवं अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों से लिया जायेगा।

2. शुल्क परिवर्तन शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जा सकता है।
3. बी.ए. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनु. जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ी जाति एवं सामान्य छात्राओं को शिक्षण शुल्क रु. 132.00 देय नहीं है। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर में शिक्षण शुल्क रु. 180.00 देय नहीं है।
4. प्रायोगिक विषय (शारीरिक शिक्षा) में शासन द्वारा निर्धारित रु. 240.00 अतिरिक्त शुल्क देय है।

महाविद्यालय में जमा किये गये शुल्क (काशनमनी को छोड़कर)
किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

उपस्थिति

प्रत्येक विद्यार्थी को व्याख्यानों में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

छात्रवृत्तियां

उत्तर प्रदेश / भारत सरकार द्वारा प्रदत्त।

विभागीय परिषदें एवं अन्य क्रिया-कलाप

1. **शास्ता मण्डल**–अनुशासन व्यवस्था के लिए महाविद्यालय में एक शास्ता मण्डल स्थापित है, जिसके अध्यक्ष को चीफ प्रॉक्टर (मुख्य शास्ता) कहते हैं और इसके सदस्यों को प्रॉक्टर कहते हैं। परिचय-पत्र पर मुख्य शास्ता का हस्ताक्षर कराकर अपने पास रखना विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व है। अनुशासन भंग करने वाले या महाविद्यालय की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वाले छात्र-छात्रा से पूछताछ करना शास्ता मण्डल का कार्य है।
2. **परिचय-पत्र**–प्रवेश प्राप्ति के तुरन्त बाद प्रत्येक विद्यार्थी को मुख्य शास्ता से परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर करा लेना चाहिए, जिसे नियमित रूप से प्रतिदिन महाविद्यालय में ले आना होगा। शास्ता मण्डल किसी भी विद्यार्थी से परिचय-पत्र की माँग कर सकता है। परिचय-पत्र न रहने पर बाहरी व्यक्ति माना जायेगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
3. **पुस्तकालय**–विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अवाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की व्यवस्था है। पुस्तकालय प्रत्येक कार्य-दिवस को 10.00 से 05.00 बजे तक खुला रहेगा। छात्रों को 11.00 से 3.00 बजे तक पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। पुस्तकालयाध्यक्ष उपलब्ध पुस्तकों में से विवेकानुसार पुस्तकों की संख्या निर्धारित करेंगे। परीक्षा पूर्व पुस्तकों को जमा कर अदेय प्रमाण-पत्र (No-Dues) प्राप्त कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
4. **वाचनालय**–विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है। वाचनालय में हिन्दी, अंग्रेजी के समाचार-पत्र तथा पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध रहती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयुक्त पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की व्यवस्था रहती है। पत्र-पत्रिकाओं की उपलब्धता के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष के नियम-निर्देश का पालन आवश्यक है।
5. **शारीरिक शिक्षा परिषद्**–महाविद्यालय में खेलकूद सम्बन्धी कार्यक्रम शरीरिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित एवं संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय, अन्तर्महाविद्यालय एवं अन्तर्विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सहभागिता की समस्त सुविधाएँ इस परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। महाविद्यालय में इनडोर तथा आउटडोर खेल-कूद की व्यवस्था छात्र-छात्राओं को करायी जाती है। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक द्वारा निर्वहन किया जाता है।
6. **कैरियर गाइडेंस** -छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों की सूचना प्रकाशित की जाती है। उन्हें प्रतिस्पर्धा हेतु एवं पात्रता/योग्यता परीक्षा हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
7. **अतिथि व्याख्यान माला**-महाविद्यालय में प्रत्येक विषयों से सम्बन्धित अतिथि व्याख्यान माला का आयोजन समीपवर्ती महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।
8. **स्मार्ट क्लासेज**- छात्र-छात्राओं को नवीन प्रौद्योगिकी में दद्दा बनाने हेतु स्मार्ट क्लास की व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली के सहयोग से महाविद्यालय में प्राप्त है।
9. **शैक्षणिक कैलेण्डर** - महाविद्यालय में शैक्षणिक कलेण्डर का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उ.प्र. शासन एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के निर्देशानुसार किया जाता है।
10. **रोवर्स/रेंजर्स**–विद्यार्थियों के मध्य सेवा-भावना एवं संगठनात्मक क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से रेंजर्स एवं रोवर्स दल जो गाइडिंग का उच्च रूप है, का गठन किया जाता है। ये दल सामाजिक कुरीतियों, अन्ध विश्वासों को दूर करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सहायता का कार्य करता है। इसमें निष्ठापूर्वक कार्य करने पर राष्ट्रपति पदक तक प्राप्त हो सकते हैं। 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के वर्ग को रोवर क्रू तथा छात्राओं के वर्ग को रेंजर टीम का नाम दिया गया है। प्रत्येक दल में 24 सदस्य होते हैं।

11. **राष्ट्रीय सेवा योजना**–छात्रों में देशभक्ति एवं समाज सेवा की प्रवृत्ति जागृत करने हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई का गठन किया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से 200 छात्र-छात्राओं की संख्या हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

12. **विभागीय परिषदें**–महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग में विभागीय परिषदें होती हैं। जिसका गठन निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा प्रति सत्र में होता है। परिषदों का लक्ष्य उस विषय से सम्बन्धित बौद्धिक क्रियाकलापों का आयोजन करना है।

13. **सांस्कृतिक परिषद्**–विद्यार्थियों की नाट्य, संगीत एवं सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए इस परिषद् का गठन किया गया है। प्रतिवर्ष पदाधिकारियों का चयन सभी कक्षाओं से, समस्त विद्यार्थियों के मध्य, उनकी प्रतिभानुसार प्रभारी सांस्कृतिक परिषद् के निर्देशानुसार किया जाता है।

14. **भूतपूर्व छात्र संगठन (Allumni)**-महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने वाले भूतपूर्व छात्रों को महाविद्यालय में समय-समय पर आमंत्रित करके छात्र/छात्राओं को जीवन में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

15. **राष्ट्रीय पर्व** - 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोहपूर्वक आयोजन होता है। छात्र/छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण, श्रमदान आदि किया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का आयोजन होता है। समय-समय पर महापुरुषों के जन्मदिन आदि के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जता है।

16. **महाविद्यालय पत्रिका**–महाविद्यालय एक वार्षिक पत्रिका 'विन्ध्य-प्रभा' प्रकाशित करता है। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का प्रकाशन एवं प्रसुप्त रचनाधर्मिता का उदय महाविद्यालय पत्रिका द्वारा ही होता है, जिसमें छात्र-छात्राएँ कविता, गीत, लोक-गीत, लेख, आलोचना, अमरवाणी, क्षणिकाएँ, निबन्ध, शोध-निबन्ध आदि प्रस्तुत करते हैं।

17. **गृहपरीक्षा/दत्तकार्य**– स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय में प्रत्येक प्रश्नपत्र से लगभग 20 परीक्षोपयोगी प्रश्न छात्रों को दिये जाते हैं। सुविधानुसार प्राध्यापक उत्तर लिखने के व्यावहारिक प्रक्रिया से अवगत कराते हैं।

18. **वार्षिकोत्सव**–विद्यार्थियों के सर्वतोन्मुखी विकास का परिणाम महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है। प्रतिवर्ष इस अवसर पर सत्र में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का भव्य समारोह आयोजित कर पुरस्कार वितरित किये जाते हैं।

19. **नामांकन-पत्र तथा विश्वविद्यालयीय परीक्षा आवेदन-पत्र का भरा जाना**–स्नातक/इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होकर आये समस्त प्रवेशार्थियों तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से इतर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नामांकन पत्र भर कर जमा करना अनिवार्य है। अन्य विश्वविद्यालय से आये विद्यार्थियों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (Migration) नामांकन-पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर परीक्षा आवेदन-पत्र पूरित कर परीक्षा कार्यालय में जमा करें।

20. **अनिवार्य विषयों की परीक्षायें**- राष्ट्र गौरव तथा पर्यावरण अनिवार्य विषय हैं। इनकी परीक्षाएँ बी.ए.-प्रथम, बी.ए.-त्तिीय एवं बी.ए.-तृतीय तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इन विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं का रिजल्ट' घ्शोषित नहीं करेगा।

21. **साइकिल स्टैण्ड**–विद्यार्थियों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में साईकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। साईकिल स्टैण्ड में ही अपनी साईकिल रखेंगे। स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्यत्र साईकिल नहीं रखी जा सकती है।

यूनिफार्म

छात्र - ग्रे पैण्ट, सफेद कमीज, काला जूता

छात्रा - ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, काली जूती।

(जाड़ा में- छात्र/छात्रायें महरून ब्लेजर या महरून स्वेटर)

टिप्पणी - महाविद्यालय में सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य है।

अन्य आवश्यक निर्देश

(1) महाविद्यालय में प्रवेश रसीद सम्बन्धित विषय की कक्षा में प्राध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही व्याख्यान पंजिका में नाम लिखकर हस्ताक्षर किया जायेगा।

(2) शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर कार्यालय से परिचय-पत्र प्राप्त हो सकेगा। परिचय-पत्र पर विद्यार्थी का नवीनतम फोटो मुख्य शास्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। **परिचय-पत्र के बिना महाविद्या-लय में प्रवेश वर्जित है।** महाविद्यालय में किसी भी समय शास्ता मण्डल द्वारा परिचय-पत्र की जाँच की जा सकती है। परिचय-पत्र नहीं पाये जाने की दशा में उसे महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा। अतः उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यावाही की जायेगी। परिचय-पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि उसे अत्यन्त सुरक्षित रखें और किसी अन्य व्यक्ति को न दें।

(3) विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक विषय में अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।

अनुशासन/आचरण सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय में स्वस्थ परम्परा बनाये रखने तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना का उत्तरदायित्व महाविद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति का है। प्रत्येक विद्यार्थी को इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। महाविद्यालय में अपने दैनिक आचरण में छात्रों को शान्ति, सहयोग, मैत्री एवं भातृ-भगिनी की भावना से कार्य करना चाहिए तथा निष्ठा-पूर्वक महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को अनुशासनपूर्वक रहना अनिवार्य है। रैंगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासन/नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए छात्रों का पूर्व सहयोग आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

- महाविद्यालय में प्रवेश मेरिट एवं परीक्षा पारदर्शी, समभाव, अनुशासित, शान्त वातावरण में सम्पन्न होती है।
- वर्ष पर्यन्त शिक्षण/शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ चलती रहती हैं।
- कैरियर कौन्सिलिंग/गाइडेन्स समिति से सम्पर्क बनाये।
- नेट/स्लेट/शोध उच्च शिक्षा के लिए संयोजक से मिलें।

महाविद्यालय परिवार

डॉ. संगीता सिन्हा

कार्यवाहक प्राचार्य

रीडर (समाजशास्त्र)

प्राध्यापकों की सूची

राजनीति विज्ञान विभाग	:	1. डॉ. प्रियंका पटेल	असिस्टेंट प्रोफेसर
		2. डॉ. पवन कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग	:	1. डॉ. संगीता सिन्हा	एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
		2. डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग :		1. डॉ. सन्तोष कुमार यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
अर्थशास्त्र विभाग	:	1. डॉ. समशेर बहादुर	असिस्टेंट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग	:	1. डॉ. अशोक प्रियदर्शी	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
		2. श्री रमाकान्त गोंड़	असिस्टेंट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग	:	1. श्रीमती अमिता सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
अंग्रेजी विभाग	:	1. रिक्त	
शारीरिक शिक्षा	:	1. डॉ. सरवन कुमार यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर
पुस्तकालय	:	1. श्री अनिल कुमार सिंह	पुस्तकालय प्रवक्ता

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

कार्यालय	:	1. श्री राणा प्रताप सिंह	कार्यालय अधीक्षक
		2. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	स्टेनोग्राफर
		3. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	कनिष्ठ लिपिक
		4. श्री विपिन शर्मा	कनिष्ठ लिपिक

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. रिक्त	बुक लिफ्टर
2. रिक्त	दफ्तरी
3. श्री एबरार हसन खाँ	परिचारक
4. श्री सोवालाल	सफाईकर्मी/चौकीदार
5. श्री मन्ना यादव	परिचारक
6. रिक्त	परिचारक
7. रिक्त	परिचारक

महाविद्यालय की विविध गतिविधियाँ

महाविद्यालय की विविध गतिविधियाँ

महाविद्यालय की विविध गतिविधियाँ

महाविद्यालय का सूत्रवाक्य

''किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या''

(कल्पलता की भाँति विद्या क्या-क्या सिद्ध नहीं करती है
अर्थात् विद्या से सब-कुछ प्राप्त किया जा सकता है।)

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधः सौभगाय ।।
सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानी व आकूतिः समानानि हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।

अर्थात कोई ज्येष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। सभी भ्राता है सभी को सभी का ध्यान रखते हुए सामूहिक प्रगति करनी है। साथ आओ व एक दूसरे से वार्तालाप करो, अपने मन को एक बनाओ, तुम्हारे सहयोगियों को समान रखो अपने विचारों को एक साथ एकत्रित होने दो, अपने हृदयों को मिलाओ, अपने मस्तिष्कों को मिलाओ ताकि सभी प्राणी प्रसन्नता से रह सकें।

Website : www.sbfgc.org.in
e-mail : sbfgpgcollege@gmail.com